

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक 4 (415) आकाशि/अनु/03/10/10

दिनांक-2/8/10

## आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2010-11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	क्रमा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	415	राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय, भीष्मपुर-उदयपुर	एमएलएस विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आरंभित विषय संकाय

- राज्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी तथा किन्दि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से सम्बन्धित व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करनी।
- राज्या को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक पूर्ण रूप जगले सत्र से पहले निर्दिष्ट अवधि में अन्तिम 90 से दिनांक जो आवेदन प्रस्तुत करनी होगा, अन्तिम आवेदनों के अभाव में राज्या के विरुद्ध एकात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड :-
  - युजीसी योग्यताकारी स्थायी स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
  - मापदण्डानुसार संरक्षा के नाम भूमि व भवन
  - स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का भुगतान
  - भारत स्टाफ की पी.एफ. कटौती
  - समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
- राज्य सरकार राज्या को वसंतगु व वरिष्ठ से दूर ही कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- राज्या राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिखे एवं सभी आदेशों/निर्देशों को पालना करनी।
- राज्या द्वारा राज्या को अधिकार के अन्तर्गत आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- राज्या प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्रस्तुत करनी।
- राज्या आयुक्तालय से प्राप्तीयकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट समयावधि में जमा करदोगी।
- आवेदनों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) को अवलोकन करें।

Ramesh

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज, जयपुर

निम्नलिखित जो सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माउ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, उदयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, एमएलएस विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित राज्या/महाविद्यालय।
8. स्टाफिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. राज्या पत्रपाली।

सयुक्त-निदेशक (अनुदान)